519

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि – 1995 – I – 16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़

रामप्रसाद पुत्र श्री भल्लू यादव
निवासी – देरी तहसील खरगापुर
जिला – टीकमगढ़

.... आवेदक

विरूद्ध

1– दमरूवा पुत्र श्री कलुआ काछी
2– रामचरण पुत्र श्री भल्लू यादव
3– हरिकिशोर पुत्र श्री भल्लू यादव
4– हल्के पुत्र श्रीं भल्लू यादव
5– काशीराम पुत्र स्व. श्री रतिराम
6– गोविन्द दास पुत्र स्व. श्री रतिराम
7– घनश्याम पुत्र स्व. श्री रतिराम
8– रमेश पुत्र स्व. श्री रतिराम
9– रामकुवंर पुत्री भल्लू यादव
निवासीगण – ग्राम देरी तहसील खरगापुर जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

श्री चौबे अधि. द्वारा आज दि. 23.6.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
23-6-16

न्यायालय राजस्व निरीक्षक कुडीला तहसील खरगापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक दमरूवा पुत्र कलुआ काछी द्वारा ग्राम देरी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1644 रकवा 0.971 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक कुडीला के समक्ष सहिता की धारा 129 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गया।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना पत्र न तो जारी किया गया और न ही उन्हे प्राप्त हुआ है। किन्तु आवेदक द्वारा जानकारी होने पर सीमांकन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1995-एक/2016 जिला टीकमगढ़ रामप्रसाद विरूद्ध दमरूवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27-01-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31.01.19 सदस्य	